



2026:AHC:175266

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत धारा 482 बी. एन. एस. एस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6738 वर्ष 2026

आचल जायसवाल उर्फ आंचल जायसवाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : हरीश चन्द्र द्विवेदी

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, इन्द्र देव मिश्रा, पंकज कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र अभिलेख पर लिए जाते हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र भी अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र द्विवेदी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आई.डी. मिश्रा के साथ श्री पंकज कुमार तिवारी तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 241 वर्ष 2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह तर्क दिया गया है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 19/20.05.2026 की मध्यवर्ती रात्रि में हुई, जबकि प्राथमिकी 10 दिनों के बाद दिनांक 01.06.2026 को अंकित की गई। प्राथमिकी दाखिल करने में हुए विलम्ब के संबंध में प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध एकमात्र आरोप मृतक को धमकी देने का है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार आवेदक मृतक पर विवाह करने के लिए दबाव डाल रही थी। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतक को आवेदक द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया या दुष्प्रेरित किया गया। प्राथमिकी किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण अंकित की गई थी।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की गिरफ्तारी से परिवार को अपूरणीय कठिनाई होगी। मृतक मानसिक तनाव में था और उसने आवेदक द्वारा बिना किसी उकसावे या दुष्प्रेरण के अवसाद में आत्महत्या कर ली। विधि के अनुसार दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व वर्तमान मामले में पूर्णतः अनुपस्थित हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है तथा विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगी। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विवेचना में सहयोग करेगी और न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगी।
6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।
7. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
8. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं एक अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को अधिरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान करना है या नहीं, यह विवेक का विषय है।

9. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2022) 1 एससीसी 676** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो या यह कोई जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचक के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता / 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए, धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता / 45 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार परिकल्पित विशिष्ट दुष्प्रेरण, अभियुक्त की ओर से संबंधित व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के आशय से किया जाना आवश्यक है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त का मृतक को आत्महत्या करने के लिए सहायता करने या उकसाने या दुष्प्रेरित करने का आशय धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता / 108 भारतीय न्याय संहिता लागू करने के लिए आवश्यक है **[देखें मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य (2010) 8 एस.सी.सी. 628]**। आगे, आरोपित उत्पीड़न ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित के पास अपने जीवन को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न रह जाए और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामलों में आत्महत्या करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है [देखें **अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एस.सी.सी. 707** तथा **एम. मोहन बनाम राज्य (2011) 3 एस.सी.सी. 626** एवं **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एस.सी.सी. 618**]।

11. इन सिद्धांतों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में **महेन्द्र आवसे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 76** में पुनः दोहराया गया है।

12. आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है।

13. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

14. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित आवेदक- **आचल जायसवाल उर्फ आंचल जायसवाल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक, थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के दो जमानतदारों के साथ रु.50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचक के साथ सहयोग करेगी तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित किया जाएगा, विवेचक के समक्ष उपस्थित होगी;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. किसी भी शर्त के उल्लंघन या दुरुपयोग की स्थिति में, शासकीय अधिवक्ता/विवेचक/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

31 अगस्त, 2026

नितेन्द्र

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।